

दिनांक  
पृष्ठ

9.7.21

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित,  
अप्रार्थीगण के सम्मन शामिल नहीं। तदुसीवद्वारे  
माण्डल पटवार हल्का आवलास द्वारा मौका  
रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शां पर भी गई।  
वास्ते पत्रावली में देखने अप्रार्थीगण के सम्मन  
तामिल हेतु नियत दिनांक 16.7.21 को पेश है

16.7.21

उपरोक्त उपस्थित पीटारीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 16.7.21 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

30.7.21

उपरोक्त उपस्थित पीटारीन अधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 30.7.21 को पेश हो।

रीडर

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

31.8.21

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थीगण उपस्थित,  
वकील प्रार्थीगण विपक्षीगण के सम्मन शामिल हेतु  
पुनः सम्मन प्रोसेस पेश करे। पेश होने पर जारी  
हो। वास्ते पत्रावली में विपक्षीगण के सम्मन शामिल  
देखने हेतु नियत दिनांक 30.9.21 को पेश हो

29.11.21

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केस  
गुप्त पचांपत आवलास में पेश हुई, प्रार्थीगण का प्रार्थना  
पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय प्रपत्र से लिखा  
जाकर शामिल पत्रावली छिपा गया। पत्रावली नैसल  
शुमार लेकर नम्बर से कम हो।

डॉ. पूजा सरसेन

उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल ( भीलवाड़ा )

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 22/21 प्रा.पञ

- 1- श्री कालु सो.बीरा तलाई निवासी- कापड़िया तहसील- माण्डल
- 2- श्रीमती हगामी सो.बीरा तलाई निवासी

--प्राथी

1- श्री कालु सो.बीरा तलाई निवासी- कापड़िया तहसील- माण्डल [कौरा]  
(सहायक प्रा.पञ. अधिकारी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 29.11.21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर  
आवेदन किया कि ग्राम कापड़िया वातलास तहसील मांडल/में उसके  
खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं. 682 कुल किता 81  
0-189 रकबा..... हेक्टेयर..... स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी  
मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते  
/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान किये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक..... को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का  
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा  
नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक  
सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

कापड़िया

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....  
पटवार हल्का..... तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.....  
..... कुल किता..... रकबा..... हेक्टेयर.....  
भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है।  
पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... को...../-  
रूप में कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें।  
कमिश्नर फीस जमा होने पर प्रक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील  
बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी

मांडल (भीलवाड़ा)

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

तिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा करा कर पत्थरगद्दी की जावें।  
जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

डॉ. पूजा सक्सेना  
उपखण्ड अधिकारी  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

हगामी